

following Notifications (Hindi and English versions) under Sub-section (2) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951:

(1) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1981 published in Notification No. G.S.R. 1038 in Gazette of India dated the 14th November, 1981.

(2) The Indian Administrative Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1981, published in Notification No. G.S.R. 613 (E) in Gazette of India dated the 23rd November, 1981.

(3) The Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1981, published in Notification No. G.S.R. 614 (E) in Gazette of India dated the 23rd November, 1981.

(4) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength (Fifth Amendment Regulations, 1981, published in Notification No. G.S.R. 609 (E) in Gazette of India dated the 21st November, 1981.

(5) The Indian Police Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 1981, published in Notification No. G.S.R. 610 (E) in Gazette of India dated the 21st November, 1981.

(Placed in Library. See No. LT-2985/81)

#### MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in

the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Air Corporations (Amendment) Bill, 1981, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th November, 1981.

#### AIR CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

As passed by Rajya Sabha

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Air Corporations (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

#### COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

#### Thirty-first Report

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North): I beg to present the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.10 HRS.

#### CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948.

MR. SPEAKER: The question is:

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 2-12-1981.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948".

*The motion was adopted.*

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: Sir, I introduce the Bill.

12.12 HRS.

MATTERS UNDER RULE 377

Need for Stopping the 193/194 Varanasi-Mahanagri Express Train at Burhanpur

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : बुरहानपुर (म० प्र०) की आबादी 1.46 लाख है। म० प्र० का 11वें नम्बर का शहर है, नगर निगम है। यह एक ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगर है। साथ ही यह एक घासिक स्थल भी है। बुरहानपुर में 18,000 पावरलूम हैं। वीविगमिल, एक स्पिनिंग मिल, 30 सायकिंग, 8 केलेडरिंग, 2 प्रिन्टिंग टेक्सटाईल यूनिट हैं, बीड़ी इन्डस्ट्रीज व अन्य उद्योग हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये का केला प्रतिवर्ष यहां से निर्यात होता है। ये बड़े खेद का विषय है कि वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस बुरहानपुर पर नहीं रुकती है। बम्बई जबलपुर, सतना इलाहाबाद, बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन वाराणसी-महानगरी एक्सप्रेस 193/194 बुरहानपुर में रुकने के लिए रेल मन्त्री जी आदेश दें।

(ii) Need for gearing up of the Co-operative movement in the country and expediting establishment of a Sugar factory in the Cooperative Sector in Uttar Pradesh

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : भारत में सहकारिता आन्दोलन काफी प्राचीन होते

हुए भी, इस आन्दोलन का सही मायने में प्रादुर्भाव एवं विकास कांग्रेस सरकार की पिछली 33 वर्षों की एक गौरवमयी उपलब्धि है। श्री जवाहर लाल नेहरू जी का पूर्ण विश्वास था कि भारत में कृषि एवं उद्योगों का विकास सहकारिता की ही नींव पर रखा जा सकता है।

सन् 1956 की औद्योगिक नीति में सहकारिता का उद्योगों में युग शुरू हुआ। इसको पूर्ण बढ़ावा जून, 1980 की औद्योगिक नीति से मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस आन्दोलन में कुछ शिथिलता आ गई है। इसका एक उदाहरण में देती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सहकारिता चीनी उद्योग इस प्रदेश में लगाने हेतु आवश्यक कागज केन्द्र सरकार को काफी समय पहले भेजे थे। इसका आशय यही है कि इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का औद्योगीकरण में पूरा विकास हो। लेकिन अत्यधिक खेद का विषय है कि भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारी नीति सहकारिता आन्दोलन को विकसित करने में बिल्कुल सही एवं साफ है तो इस उद्योग को क्यों नहीं आवश्यक आदेश मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्बन्धित मंत्रालय कोई पूंजीपतियों के दवाव में आ रही है और इस उद्योग को आवश्यक आदेश नहीं दिये जा रहे हैं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में संसद में एक वक्तव्य दें।